(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)
अनवान
श्री पारस मोगरा पुत्र श्री सोहनलाल मोगरा, निवासी सुरास, तह0 माण्डल, जिला भीलवाड़ा
बनाम
लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
प्रकरण संख्या :– 02/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12–02–2025	**–: निर्णय :–** 1. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 11.11.2024 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील 23.12.2024 को प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक 20020 दिनांक 11.02.2025 से प्रत्युत्तर प्रेषित कर इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी/प्रार्थी के आवेदन पत्र से वांछित सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व/115 दिनांक 13–11–2024 एवं 1413 दिनांक 13–03–2023 की पालना में प्रार्थी अपीलार्थी को सूचित कर सूचना उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही यह भी उल्लेख किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के बिन्दू संख्या 02 से वांछित सूचना पूर्ण विवरण यथा पत्रावली क्रमांक, पत्र क्रमांक, पत्र दिनांक / विषय/शीर्षक अंकित नहीं होने से दिया जाना संभव नहीं है। रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गयी सूचना की प्रतिलिपि अपील न्यायालय को भी प्रेषित की है। 4. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति एवं एतराज प्राप्त नहीं हुआ है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 12–02–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (जसमीत सिंह संधू) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	